WESTERN RAILWAY

P.S.No. 55/2013

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. E(PC)767/0

Date: 23.07.2013

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Grant of one increment in pre-revised pay scale – Board's letter dated 23.03.2012 – clarification regarding.

==========

A copy of Railway Board's letter No.PC-VI/2012/I/RSRP/1 dtd 3.7.2013 (S.No.PC-VI/322) (RBE No.63/2013) is sent herewith for information, guidance and necessary action. Railway Board's letters mentioned therein are circulated as indicated below:-

Sr. No.	Railway Board's letter No. & date & R.B.E.No.	This office letter No. & date and P.S.No.
1.	No.PC-VI/2012/1/RSRP/1 dtd 23.03.12 (R.B.E.No.40/2012)	No.E(PC)767/0 dt.04.04.12 (P.S.No.34/2012)
2.	No.PC-VI/2008/1/RSRP/1 dtd 11.09.08 (R.B.E.No.108/2008)	No.E(PC)767/0 dt.15.09.08 (P.S.No.106/2008)

Encl: As above.

(U. V. Patel)
For General Manager (E)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
*****

आरबीई सं. 63 /2013

क्रम सं. पीसी-VI/322

नई दिल्ली, दिनांक 03.07.2013

सं. पीसी-VI/2012/I/आरएसआरपी/1

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलें)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: संशोधन-पूर्व वेतनमान में एक वेतनवृद्धि प्रदान करना - बोर्ड के दिनांक 23.03.2012 के पत्र के बारे में स्पष्टीकरण।

बोर्ड के दिनांक 23.03.2012 के समसंख्यक पत्र में प्रावधान किया गया है कि उन रेलवे कर्मचारियों, जिन्हें फरवरी, 2006 से जून, 2006 के बीच अपनी वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करनी थी, को एक बारगी उपाय के रूप में संशोधन-पूर्व वेतनमान में 01.01.2006 को एक वेतनवृद्धि प्रदान की जाए और तत्पश्चात् उन्हें 01.07.2006 को संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि प्राप्त होगी।

2. बोर्ड के दिनांक 11.09.2008 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/I/आरएसआरपी/1 के अनुसार इसके अनुलग्नक-ई में फिटमेंट तालिकाएं निर्धारित की गई हैं जिनमें विभिन्न संशोधन-पूर्व वेतनमानों में संशोधन-पूर्व वेतन के प्रत्येक स्तर के संबंध में संशोधित पे-बैंड में संशोधित वेतन का स्तर विनिर्दिष्ट है। फिटमेंट तालिकाओं के अनुसार पे बैंड में संशोधित वेतन के स्तर का उल्लेख कतिपय संशोधन-पूर्व वेतनमानों के मामलों में वेतन के दो क्रमिक संशोधन-पूर्व स्तरों के संबंध में समान स्तर पर किया गया है।

3. कुछ ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या जहां फिटमेंट तालिका में वेतन के किसी खास संशोधन-पूर्व वेतनमान में दो क्रमिक संशोधन-पूर्व स्तरों के लिए समान संशोधित स्तर का प्रावधान होता है वहां बोर्ड के दिनांक 23.03.2012 के पत्र द्वारा संशोधन-पूर्व वेतनमान में एक वेतनवृद्धि प्रदान करने के बाद बंचिंग का लाभ स्वीकार्य है।

4. इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधित संरचना में वेतन का निर्धारण करने के लिए दिनांक 11.09.2008 के उपर्युक्त पत्र में अंतर्विष्ट फिटमेंट तालिका का बिना किसी परिवर्तन के कड़ाई से पालन किया जाए।

.....2/-

5. ऐसे मामलों में जहां दिनांक 11.09.2008 के उपर्युक्त पत्र में अंतर्विष्ट फिटमेंट तालिका के अनुसार संशोधित पे बैंड में वेतन के निर्धारण के स्तरों में तदनुरूपी संशोधन-पूर्व वेतनमानों में संशोधन-पूर्व वेतन के दो क्रमिक स्तरों के संबंध में पे बैंड में समान संशोधित स्तर का प्रावधान होता है तब बोर्ड के दिनांक 23.03.2012 का पत्र लागू होने के कारण ऐसे मामलों में, यदि संशोधन-पूर्व वेतनमान में एक वेतनवृद्धि की गणना करने के बाद संशोधन-पूर्व वेतन के संबंध में संशोधित स्तर में फिटमेंट तालिका के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है तो 01.01.2006 को संशोधित वेतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में आगे कोई बंचिंग नहीं दी जाएगी और 01.01.2006 को संशोधित वेतन में कोई वेतन का पुन:निर्धारण स्वीकार्य नहीं होगा।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(हरि कृष्ण)
निदेशक, वेतन आयोग-II
रेलवे बोर्ड.

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(Railway Board)
*****

S.No.PC-VI/322 RBE No. 63/2013

No.PC-VI/2012/I/RSRP/1 New Delhi, dated 03.07.2013

The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Sub: Grant of one increment in pre-revised pay scale – Board's letter dated 23.03.2012 – clarification regarding.

Board's letter of even number dated 23.03.2012 provides that, those Railway employees who were due to get their annual increment between February, 2006 to June, 2006 may be granted one increment as on 01.01.2006 in the pre-revised pay scale as a one time measure and, thereafter, will get the next increment in the revised pay structure on 01.7.2006.

2. As per Board's letter No.PC-VI/2008/I/RSRP/1 dated 11.9.2008 fitment tables have been prescribed in Annexure-E thereto, specifying the stage of revised pay in the revised pay band with reference to each stage of pre-revised pay in various pre-revised pay scales. As per the fitment tables, the stage of revised pay in the pay band has been mentioned at the same stage in respect of two consecutive pre-revised stages of pay in cases of certain pre-revised pay scales.

3. References have been received seeking clarification as to whether in cases where the fitment table provides for the same revised stage in case of two consecutive pre-revised stages in a particular pre-revised scale of pay, the benefit of bunching is admissible after grant of one increment in the pre-revised pay scale by virtue of Board's letter dated 23.03.2012.

4. The matter has been considered and it is clarified that Fitment Table contained in the aforesaid letter dated 11.9.2008 is to be strictly followed for fixation of pay in the revised structure without any deviation.

5. In cases where the stages of fixation of pay in the revised pay band as per fitment table contained in the aforesaid letter dated 11.9.2008 provides for the same revised stage in the Pay Band with reference to two consecutive stages of pre-revised pay in the corresponding pre-revised scales, then in such cases due to application of Board's letter dated 23.3.2012, there will be no change in the revised pay as on 01.01.2006, if the revised stage with reference to the pre-revised pay after accounting for one increment in the pre-revised scale does not undergo any change as per the Fitment Table. It is also clarified that no further bunching will be allowed in such cases and no re-fixation of pay will be admissible in the revised pay as on 01.01.2006.

6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Hari Krishan)
Director, Pay Commission II
Railway Board.